



प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथोल, टिहरी गढ़वाल।राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड
महोदय,

देहरादून : दिनांक : / 12 फरवरी, 2019

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 308 / SDSUV/Affi-2017-18 दिनांक 04-10-2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राजकीय महाविद्यालय, तलवाडी, थराली, चमोली को एम०ए० (हिन्दी एवं राजनीतिक शास्त्र) पाठ्यक्रमों में सत्र 2018-19 से सत्र 2020-21 (तीन सत्रों) में अस्थाई सम्बद्धता का प्रस्ताव कुलपति जी की संस्तुति के साथ इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2- तत्क्रम में मा० राज्यपाल/कुलाधिपति महोदय द्वारा श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 (यथा संशोधित) के अध्याय-6 की धारा-33 (1) के अधीन निम्न महाविद्यालय को स्तम्भ-3 में वर्णित पाठ्यक्रम में उसके सम्मुख अंकित सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्तम्भ-5 में इंगित अवधि के लिए अस्थाई सम्बद्धता हेतु पूर्वानुमोदन निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान कर दिया गया है :-

| क्र०सं० | संस्था का नाम | पाठ्यक्रम का नाम | प्रवेश क्षमता | शैक्षिक सत्र |
|---------|--|---|------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | राजकीय महाविद्यालय तलवाडी थराली, चमोली। | 1-एम०ए० (हिन्दी) 2-एम०ए० (राजनीतिकशास्त्र) | 60 सीट 60 सीट | सत्र 2018-19 की अस्थाई सम्बद्धता। |

- (1) महाविद्यालय को उक्त सम्बद्धता इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जा रही है कि महाविद्यालय द्वारा पुस्तकों की कमी यथाशीघ्र पूर्ण करेगा और अग्रिम वर्ष के प्रस्ताव में इस तथ्य का विशेष रूप से उल्लेख किया जायेगा कि महाविद्यालय द्वारा पुस्तकों की कमी पूर्ण कर ली गई है।
- (2) विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा सम्बन्धित संस्थान/महाविद्यालय में मानकों के अनुरूप आधारभूत सुविधाओं की पूर्ति सुनिश्चित करायी जायेगी एवं कुलपति की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी की मानकों को पूर्ण कराते हुये कार्यपरिषद् में लिये गये निर्णय की समयबद्ध/त्रैमासिक रिपोर्ट मा० कुलाधिपति जी को प्रस्तुत करेंगे।
- (3) संस्थान/कॉलेज अपने सभी मानक पूर्ण होने तथा निर्विवाद गतिविधियों की पुष्टि का प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेगा तथा विश्वविद्यालय इसकी पुष्टि सुनिश्चित करेगा।
- (4) संस्थान में मानकानुसार पूर्ण फ़ैकल्टी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी, और यदि इसमें कोई त्रुटि/कमी परिलक्षित होने पर इसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन के साथ-साथ विश्वविद्यालय के सम्बन्धित अधिकारी की होगी।
- (5) पाठ्यक्रम में अग्रेत्तर विस्तारण हेतु सभी मानक पूर्ण किये जाने के प्रमाण पत्र तथा विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण के उपरान्त संस्तुति किये जाने के पश्चात् ही अग्रेत्तर अस्थाई सम्बद्धता पर पूर्वानुमोदन दिया जा सकेगा।

3- कृपया तदनुसार विश्वविद्यालय अधिनियम/परिनियम की व्यवस्था के अन्तर्गत महाविद्यालय की सम्बद्धता हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(रमेश कुमार सुधांशु)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या 4302(1)/जी०एस०/शिक्षा / A11-164 /2018 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, हल्द्वानी, नैनीताल।
3. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, बड़कोट, उत्तरकाशी।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

(विक्रम सिंह यादव)

कुलाधिपति के संयुक्त सचिव।